

**सूचना**

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत  
 ग्राम: चमातु थाना: बालुमथ थाना सं: 56 ; जिला :- लातेहार, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम  
 (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 870 E दिनांक. 02.12.1994 के तहत एक भूमि-मुआवजा प्रस्ताव कि प्रक्रिया की  
 गई है जिसका विवरण निम्नवत है।

अधिसूचना सं.	भूमि के प्रकार	सत्यापित भूस्वामी	खाता सं.	प्लॉट सं.	दावीत रकबा (एकड़ में)	खतियानी रैयत खतियान के अनुसार
870 (अ) दिनांक 02.12.1994	रैयती	बिफ़ा उरांव पिता बिसुर उरांव	123	2281	8.16	बिफ़ा उरांव पिता बिसुर उरांव
		बुधु उरांव पिता बिगु उरांव	131	2330	0.11	बुधु उरांव पिता बिशु उरांव
		बुधु उरांव, सोना उरांव एवं बिफ़ा उरांव पिता बिगु उरांव	132	2310	0.84	बुधु उरांव, सवना उरांव एवं बिफ़ा उरांव पिता बिशु उरांव
		बुधु उरांव, सवना उरांव एवं बिफ़ा उरांव पिता बिशु उरांव		2360	0.40	
		सवना उरांव एवं बिफ़ा उरांव पिता बिशु उरांव	187	2307	0.09	सवना उरांव एवं बिफ़ा उरांव पिता बिशु उरांव
		सवना उरांव, बुधु उरांव एवं बिफ़ा उरांव पिता बिशु उरांव	188	2290	4.47	सवना उरांव, बुधु उरांव एवं बिफ़ा उरांव पिता बिशु उरांव
				2291	1.24	
कुल रकबा					18.45	

अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 ; जिला :- लातेहार, (रैयती) खाता सं. 123, 131, 132, 187 एवं 188 के अधीन प्लॉट सं. 2281, 2330, 2310, 2360, 2306, 2307, 2290 एवं 2291, कुल रकबा 18.45 एकड़, (रैयती) खाता जो क्रमशः बिफ़ा उरांव पिता बिसुर उरांव, बुधु उरांव पिता बिगु उरांव बुधु उरांव, सोना उरांव एवं बिफ़ा उरांव पिता बिगु उरांव बुधु उरांव, सवना उरांव एवं बिफ़ा उरांव पिता बिशु उरांव, सवना उरांव एवं बिफ़ा उरांव पिता बिशु उरांव एवं सवना उरांव, बुधु उरांव एवं बिफ़ा उरांव पिता बिशु उरांव जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

(sd/-)

विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व)

सी.सी.एल, राँची

